केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

जवाहर लाल नेहरू भारतीय एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन नं.61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख "डी" ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058

शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों के लिए मान्य होगा कृपया कार्मिक लोक शिकायत
और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के ओ.एम.सं. 12011/03/2008
स्था.(भत्ता) दिनांक 2सितम्बर 2008 द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2008 को देखें।
शिशु का नामवद्यालय जिसमें पढ़ रहा *
है जन्म तिथि
माहसेतक शिश् शिक्षा भत्ता के लिए दावा ।

शिशु शिक्षा भत्ताशुल्क हेतु वास्तविक देय का विवरण	शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क भुगतान की	प्रतिपूर्ति हेतु दावा की गई राशि	टिप्पणी
	गई राशि	,	
1.प्रवेश शुल्क्			
2. शिक्षण			
3. यूनिफार्म(दो सेट)			
4. स्कूल शू (एक प्रति)			
5. किताबें/नोट बुक (एक सेट)			
6. पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क			
7. खेल /क्रीड़ाश ुल्क /अतिरिक्त			
पाठ्येतर गतिविधियां			
8.छात्रावास शुल्क			
9.कृषि//एलेक्ट्रानिक/संगीत			
अथवा प्रायौगिक कार्य/किसी			
अनुदान हेतु भुगतान की गई			
शुल्क /उपकरणों जो शिशु द्वारा			
प्रयोग किया गया हो			
10. अन्य गतिविधि शुल्क			
कुल योग रु.			

क्रम	शि	•	_		_		_	

- 1.प्रमाणित किया जाता है कि शिशु जिसके लिए शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क का दावा किया गया है पूर्णतः मुझ पर आश्रित है।
- 2.3पर्युक्त शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क जिस शिशु के लिए दावा किया गया है वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान किया जा चुका है। संबंधित नकद रसीद साथ्में संलग्न है।
- 3.(i) मेरी पत्नी/पतिकेंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय के कर्मचारी नहीं हैं।
- (ii) मेरी पत्नी/पतिकेंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय के कर्मचारी हैं, किन्तु उनके द्वारा हमारे बच्चों के लिए किसी भी शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क प्रतिपूर्ति हेत् दावा नहीं किया गया है।
- (iii) मेरी पत्नी /पतिके कर्मचारी हैं। उनको हमारे बच्चों के लिए कोई भी शिशु शिक्षा भत्ताशुल्क देय नहीं है।
- 4. दावे की अविध में बच्चे नियमित रुप से विद्यालय में उपस्थित रहें हैं तथा बिना उचित अवकाश के एक माह की अविध से अधिक अनुपस्थित नहीं हुए हैं।
- 5. प्रमाणित किया जाता है कि मैने अथवा मेरी पत्नी/पति ने पूर्व में उपर्युक्त बच्चों के लिए किसी शिशु शिक्षा भत्ताशुल्क हेतु दावा नहीं किया।
- 6. उपर दी गई जानकारी में यदि कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित मापदंडों को प्रभावित करता है, तो मैं उक्त संदर्भ में तुरन्त सूचना देने तथा यदि कोई अधिक भुगतान किया जाता है तो उसे लौटाने हेतु बचन वद्ध हूँ।

परकारी कर्मचारी	के	हस्ताक्षर,
नाम	••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
पदनाम	••••	
अनुभाग		

नोट:1.प्रतिपूर्ति – सीइए केवल दो बच्चों तक मान्य है। 2. प्रत्येक बच्चें के लिए अलग फार्म भरा जाय।